मध्य प्रदेश में हिरासत में मौत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के **गुना ज़िले** में **पारधी आदिवासी समुदाय** ने एक आदिवासी व्यक्ति की **पुलिस हिरासत में कथित मौत** के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

मुख्य बिंदु

- हिरासत में मौत वह **है जो किसी व्यक्ति की कानून प्रवर्तन अधिकारियों की हिरासत** में या सुधारात्मक सुविधा में होने पर होती है।
- यह **विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे अत्यधिक बल का प्रयोग, उपेक्षा** या अधिकारियों द्वारा **दुर्व्यवहार।**
- भारतीय विधि आयोग के अनुसार, गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्ति के विरुद्ध किसी लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध हिरासत में हिंसा के समान है।

पारधी जनजाति

- यह ज़्यादातर **महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है।**
- पारधी शब्द **मराठी शब्द 'परध' जिसका अर्थ है शिकार करना** और **संस्कृत शब्द 'पापर्धी' जिसका अर्थ है शिकार किया जाने वाला शिकार।**
- वे **राजस्थानी और गुजराती की मिश्रित बोलियाँ** बोलते हैं, मुख्यतः **वागड़ी और पारधी भाषाएँ।**
  - ये भाषाएँ **पश्चिमी इंडो-आर्यन भाषा समूह** की भील भाषाओं में वर्गीकृत हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/custodial-death-in-madhya-pradesh